# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. (121/2024) 37/2025

नारायण पुरी पुत्र भुरपुरी निवासी ग्राम उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर

बनाम

1. मानीदेवी पुत्री भुरपुरी पत्नि घीसा पुरी निवासी उगाई हाल ग्राम पाड़लिया तहसील भिनाय
2. सीमा चौधरी पत्नि सीताराम चौधरी जाति जाट निवासी उगाई हाल स्वास्तिक अस्पताल के पास, अजमेर रोड़, केकड़ी
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध नामांतकरण सं. 1188 दिनांक 06.12.2023 तहसीलदार केकड़ी

उपस्थितः–

1. श्री अनुराग पाण्डे अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री शैलेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2

**निर्णय**

**दिनांक 26.06.2025**

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की पुश्तैनी आराजी ग्राम उगाई में स्थित जिसके खाता संख्या नया–पुराना 127–110 खसरा सं. कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्ट. है। जिसमें दोनों का बराबर 1/2 –1/2 हिस्सा है। एवं उसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो. सं. 1 व 3 ने मिलीभगत कर उक्त आराजी को अकेले रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम विरासतं नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 के जरिये दर्ज कर दी। रेस्पो. सं. 1 ने यह जानते हुये कि उक्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है तथा कब्जा काश्त है, अपीलान्ट को बेदखल करने के दुराशय से अपीलान्ट के 1/2 हिस्से बाबत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.02.2024 को रेस्पो. सं. 2 के हक में निष्पादित किया वह प्रारम्भ से शून्य है एवं उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 22.02.2024 स्वीकार किया गया, वह भी पश्चातवर्ती नामान्तरण होने से स्वतः ही निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 को निरस्त किया जाने का निवेदन अपीलान्ट द्वारा किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बाद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

सर्वप्रथमं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 एवं नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 22.02.2024 स्वीकृत किये जाने के उपरान्त रेस्पो. सं. 2 दिनांक 21.05.2024 को अपीलवर्णित आराजी पर आई व अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर अपीलान्ट

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

ने दिनांक 30.05.2024 को राजस्व रिकार्ड नामान्तरण की नकल प्राप्त की तथा जानकारी कर अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे।

रेस्पो. सं. 2 ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया एवं बहस में उसके अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण एवं बेचान की पूर्ण जानकारी होते हुये भी जानबूझकर रेस्पो. सं. 1 से मिलीभगत कर बेचान की राशि प्राप्त करने के उपरान्त यह अपील प्रस्तुत की। अतः मियाद प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रस्तुत अपील का उभयपक्ष की सुनवाई कर गुण–अवगुण के आधार निर्णित किया जाना है। न्यायालय को विलम्ब क्षमा के प्रयोजनार्थ उदार एवं न्यायोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक भूरपुरी के दो वारिस अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 है लेकिन तहसीलदार द्वारा अपील वर्णित आराजी सिर्फ रेस्पो. सं. 1 मानीदेवी के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 से दर्ज कर दिया। अपीलान्ट मृतक भूरपुरी का वारिस होने के साक्ष्य वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, स्वयं का शपथ पत्र, मानीदेवी का सहमति पत्र दिनांक 27.08.2014 की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। आक्षेपित नामान्तरण की जांच के दौरान पटवारी द्वारा तैयार किये गये मौका पर्चा दिनांक 02.11.2023 में गवाह भागचन्द पुत्र भंवरलाल के हस्ताक्षर है लेकिन उक्त गवाह ने शपथ पत्र दिनांक 06.03.2025 में अपीलान्ट व रेस्पो सं. 1 को भूरपुरी का वारिस बताया है। अतः आक्षेपित नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 मिलीभगती से गलत रूप से स्वीकृत किया गया। जिसके उपरान्त रेस्पो. सं. 1 मानीदेवी ने उक्त आराजी का बेचान जरिये विक्रय पत्र रेस्पो. सं. 2 को कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 22.02.2024 स्वीकार किया गया, वह भी पश्चातवर्ती नामान्तरण होने से स्वतः ही निरस्तनीय है। अतः उक्त नामान्तरण 1188 दिनांक 06.12.2023 खारिज किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो. सं. 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में सिर्फ नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 को खारिज किया जाने का अनुतोष चाहा है। इसके उपरान्त स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। नामान्तरण एक समरी ट्रायल प्रकरण है। प्रस्तुत अपील में तथ्यों एवं विधि के मिश्रित प्रश्न निहित है तथा अपीलान्ट के मृतक नारायण के वारिस होने बांबत प्रश्न भी सिर्फ नियमित वाद में साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किये जा सकते है। अपीलान्ट द्वारा

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रस्तुत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी में लंबित है जिसमें तथा इस अपील में वर्णित तथ्य एवं पक्षकार एक ही है। अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 मिलीभगत कर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते है। रेस्पो. सं. 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 1214 दिनांक 22.02.2024 को अपील में चुनौती नहीं दी गई और ना ही उसके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा गया है। अपील में चाहे गये अनुतोष के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता।

रिबटल बहस में अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो. सं. 2 अपीलान्ट के गांव का ही है तथा अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के भाई बहन होने बाबत तथ्य उसकी जानकारी में था। उपखण्ड न्यायालय में खातेदारी प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट ने नियमित वाद प्रस्तुत किया है तथा नामान्तरण के विरूद्ध अपील का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है। नामान्तरण 1214 दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहने के संबंध में निवेदन है कि यदि नामान्तरण 1188 दिनांक 06.12.2023 निरस्त हो जाता है तो उक्त नामान्तरण 1214 पश्चातवर्ती होने से स्वतः ही निरस्तनीय है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम उगाई स्थित अपील वर्णित आराजी अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के पिता भूरपुरी की खातेदारी की आराजी थी जिनके फौत होने पर रेस्पो. सं. 1 के प्रार्थना पत्र पर विरासत का नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 एकमात्र रेस्पो. सं. 1 मानीदेवी के नाम स्वीकृत किया गया लेकिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, स्वयं का शपथ पत्र, मानीदेवी का सहमति पत्र दिनांक 27.08.2014 की छायाप्रति के आधार पर अपीलान्ट ने स्वयं को भूरपुरी का पुत्र होना बताया है। पटवारी हल्का के वारिसान हेतु तैयार मौका पर्चा के गवाह भागचन्द द्वारा भी शपथ पत्र में स्वर्गीय भूरपुरी के एक पुत्र नारायण पुरी व पुत्री मानीदेवी होना बताया है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 06.12.2023 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक भूरपुरी पुत्र ऊंकार पुरी जाति गुंसाई के वारिसान की समुचित जांच कर अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये दस्तावेजी साक्ष्यों का भली भांति अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/6/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी